न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारीः–राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद : इस्तकरार हक   निर्णय दिनांकः– 4. 7. 2022

नम्बर मुकदमा – 649-2022

तरसेम सिह पुत्र सुखमन्द्र सिह जाति जटसिख सा. जण्डवाला रिखान तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

वादी

बनाम

1 हरमन्द्र सिह पुत्र चन्द सिह जाति जटसिख सा. वजीतपुरा भोमा तह.सीतो गुन्नो जिला फाजिल्का पंजाब

2 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थित

श्री नक्षत्र सिह सिद्धू – अधिवक्ता वादी

श्री गुरमीत सिह कलसी – अधिवक्ता प्रति स. 1

निर्णय

उक्त अनुवानी वाद पत्र वादी की तरफ से जरिए वकील उक्त तथ्यों के आधार पर पेश किया गया कि प्रति स. 1 के नाम चक 7 एन.के.आर. खाता स. 152/29 खाता हरमन्द्र सिह वगैरा ज.स. 2073–76 में सांझा खाता में 2.404 है0 आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसमें प्रति स. 1 का वादी के साथ सांझा खाता है। चक 7 एन.के.आर. की आराजी के अलावा हमारे संयुक्त परिवार की आराजी मौजा वजीतपुरा भोमा तह. सीतोगुन्नो जिला फाजिल्का (पंजाब) के खाता नारायण कौर वगैरा मे भी है। वादी व प्रति स. 1 ने चक 7 एन.के.आर. तह. संगरिया (राजस्थान) व मौजा वजीतपुरा भोमा तह. सीतो गुन्नो (पंजाब) की आराजी का आपस में घरू विभाजन कर लिया है। इस घरू विभाजन मुताबिक चक 7 एन.के.आर. खाता स. 152/29 खाता हरमन्द्र सिह वगैरा मे प्रति स. 1 हरमन्द्र सिह के नाम दर्ज 2.404 है0 आराजी घरू विभाजन में वादी के हिस्सा में आई है।जो मौका पर वादी के ही कब्जाकाश्त में है। जबकि इसके बदले में प्रति स. 1ने मौजा वजीतपुरा भोमा (पंजाब) की आराजी प्राप्त कर ली है।जो कि मौका पर प्रति स. 1 के ही कब्जाकाश्त में है।इसमें वादी का या हमारे परिवार का कोई हक व हिस्सा नही है। उक्त आराजी प्रति स. 1 के ही हक हिस्सा व कब्जा की है।वादी मुताबिक घरू विभाजन चक 7 एन.के.आर. खाता स. 152/29 खाता हरमन्द्र सिह वगैरा में प्रति स. 1 के नाम दर्ज 2.404 है0 आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी व दावेदार है। इसी कदर की घोषणा वादी प्राप्त करना चाहता है।वादी दावा की दफा 4 के मुताबिक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहे है।कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नहीं है। लेकिन उक्त आराजी वादी के नाम दर्ज नही होने के कारण वादी के खातेदारी अधिकारों पर बुरा प्रभाव पडता है। इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण से

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.09.11 17:07:00
Reason: SelfAttested

सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

कई दफा निवेदन किया कि आप दावा की दफा 2 में दर्ज आराजी का वादी को दावा की दफा 4 के अनुसार खातेदार काश्तकार होना मान लो व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे वादी नाम से अंकन करवा देवें तो इस पर पहले तो वे टालमटोल करते रहे किन्तु अन्त मे पिछले सप्ताह प्रतिवादीगण वादी के इस निवेदन से स्पष्ट इन्कार हो गए बस यही वादकारण हैं।अतः चक 7 एन.के.आर. खाता स. 152/29 खाता हरमन्द्र सिह वगैरा ज.स. 2073–76 में प्रति स. 1 के नाम दर्ज आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। अतः उक्त खाता से प्रति स. 1 का नाम कलमजन किया जाकर प्रति स. 1 के नाम दर्ज समस्त आराजी राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज की जावे।

उक्त वाद पेश होने पर तथा सीगेदार की रिर्पोट होने के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया ।प्रति स.1 की ओर से सहमति का जवाब दावा पेश किया गया। जो शामिल मिसल है।प्रति स. 2 का जवाब स्टेट पेश हुआ। जो शामिल मिसल है। साक्ष्य वादी में वादी तरसेम सिंह का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी.पेश किया गया। जो शामिल मिसल है।

बहस अभिभाषकगण सुनी गई। वादी अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि चक 7 एन.के.आर. खाता स. 152/29 खाता हरमन्द्र सिह वगैरा ज.स. 2073–76 में प्रति स. 1 के नाम दर्ज आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। अतः उक्त खाता से प्रति स. 1 का नाम कलमजन किया जाकर प्रति स. 1 के नाम दर्ज समस्त आराजी राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज की जावे। अधिवक्ता प्रति स. 1 ने वादी के वाद पर सहमति का जवाब दावा पेश किया। वादी के वाद का कोई विरोध नही है।

बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। नकल फोटोप्रति चक 7 एन.के.आर. खाता स. 152/29 खाता हरमन्द्र सिह वगैरा ज.स. 2073–76 पेश है। जो कि प्रदर्श 1 है।वादी के वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र का कोई विरोध नही होने से सहमती के आधार पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाता है कि चक 7 एन.के.आर. खाता स. 152/29 खाता हरमन्द्र सिह वगैरा ज.स. 2073–76 में प्रति स. 1 के नाम दर्ज आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। अतः उक्त खाता से प्रति स. 1 का नाम कलमजन किया जाकर प्रति स. 1 के नाम दर्ज समस्त आराजी राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज की जावे।

निज......X...... मुब्लिक......X...... बाबत......X......खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ......X...... को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 04.09.2024 को जारी की गई।

नोटः– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारो का अमल दरामद कर दिया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.11 17:07
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

डिक्री एंव मुकदमे ईब्तदाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

तरसेम सिह पुत्र सुखमन्द्र सिह जाति जटसिख सा. जण्डवाला सिखान तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

वादी

बनाम

1 हरमन्द्र सिह पुत्र चन्द सिह जाति जटसिख सा. वजीतपुरा भोमा तह.सीतो गुन्नो जिला फाजिल्का पंजाब

2. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थित
श्री नक्षत्र सिह सिद्दू – अधिवक्ता वादी
श्री गुरमीत सिह कलसी – अधिवक्ता प्रति स. 1

मु. स . 649-2022 दावा अर्न्तगत धारा 88 आर.टी.ए.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी वादी व प्रतिवादीगण पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि चक 7 एन.के.आर. खाता स. 152/29 खाता हरमन्द्र सिह वगैरा ज.स. 2073–76 में प्रति स. 1 के नाम दर्ज आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। अतः उक्त खाता से प्रति स. 1 का नाम कलमजन किया जाकर प्रति स. 1 के नाम दर्ज समस्त आराजी राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज की जावे।

निज.....X..... मुब्लिक.....X..... बाबत.....X.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .....X..... को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 04.09.2024 को जारी की गई।

नोटः– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारो का अमल दरामद कर दिया जावे।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.09.11 17:07:0
Reason: SelfAttested